न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री विरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0
प्रा0पत्र सं0 267/08
निर्णय दिनांक 14.09.18

मनोहरसिंह बनाम झब्बरसिंह वगै0
प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं0 3 की ओर प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व 151 जा0दी0 का पेश किया जिसमें अंकित किया कि वादी द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् तथाकथित अनरजिस्टर्ड विक्रय करार दिनांक 10.06.1984, 07.12.1984 के आधार प्रस्तुत किया है जो कि मान्य न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। वादी द्वारा उपरोक्त अनरजिस्टर्ड विक्रय करार दिनांक 07.12.1984 के आधार पर वाद संविदा की विशिष्ट अनुपालना एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक के समक्ष भी प्रस्तुत कर रखा है जो कि इन्हीं पक्षकारान के मध्य विचाराधीन है जिसका की मुकदमा सं0 101/08 है जब वादी का स्वत्व के आधार पर वाद विचाराधीन है तो प्रस्तुत वाद कतई न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है एवं विधि द्वारा यह वाद निषिद्व होकर काबिलें खारिज योग्य है। अपंजीकृत इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत वाद मान्य न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है अपितु ऐसे वाद का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय का है जिससे प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। वादी ने केवल उक्त वाद जो प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्व खारिज हो चुका है प्रतिवादी सं0 3 को हैरान परेशान एवं खर्चे से गैरवार कर नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रस्तुत वाद काविलें खारिज योग्य है।

उक्त प्रा0पत्र का जवाब वादी की ओर से पेश किया गया जिसमें सभी मदों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि यह वाद राजस्व न्यायालय में दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया है प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि का कब्जा वादी को विधि सम्मत तौर पर उक्त लिखावट के अनुसार दिनांक 10.06.84 को दे दिया था जब से निरन्तर बिना रोके टोकें उक्त भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा है एवं उपयोग व उपभोग तथा काश्त करता चला आ रहा है। राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के प्रावधान धारा 63(4) के अनुसार प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर सन् 1984 से काबिज नहीं है बल्कि वादी ही काबिज है प्रतिवादीगण ने आजतक विवादित भूमि का कब्जा लेने के लिये वादी के खिलाफ कोई चारा जोरी नहीं की ऐसी सूरत में उनके खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

एक अन्तर्गत धारा 83(4) राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के अनुसार स्वतः ही समाप्त हो चुके है एवं कानूनन वादी के हक में खातेदारी हक निरन्तर बिना रोक टोक के कब्जे के आधार पर वादी में निहित हो चुके है ऐसी सूरत में वादी उपरोक्त भूमि पर खातेदारी की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी इस वाद के माध्यम से कानूनन पाने का अधिकारी नही है। पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में बहक वादी इकरारनामा विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 2 स्व0 मूलसिंह द्वारा निष्पादित किया गया था एवं वादी को विवादित भूमि पर काबिज करा दिया था। उक्त दीवानी वाद वादी इकरारनामा की विशिष्ट पालना एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दीवानी न्यायालय मे पेश किया है जिसकी प्रकृति इस वाद से भिन्न है। इस प्रकार दोनों न्यायालयों में प्रस्तुत वाद के तथ्य, प्रकृति एवं चाही गई दादरसी भिन्न भिन्न है ऐसी सूरत में यह वाद मान्य न्यायालय द्वारा पोषणीय है तथा यह दरख्वास्त कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 पेश करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। कानूनी स्थिति को देखते हुये यह प्रा0पत्र खारिज किये जाने योग्य है। इनदी आलटरनेटिव विभिन्न न्यायालय में प्रस्तुत अलग अलग वाद कानून को देखते हुये यह वाद अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 एवं इसमें कार्यवाही किया जाना स्थगित रखा जाना पूर्ण न्यायोचित है। मौजूदा वाद खारिज किये जाने के कोई प्रावधान नही है एवं प्रतिवादीगण भी कानूनन इसको प्रत्यक्षतः खारिज किये जाने के लिये पूर्णतया असफल रहे है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में कथन किया है कि वादी द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् तथाकथित अनरजिस्टर्ड विक्रय करार दिनांक 10.06.1984, 07.12.1984 के आधार प्रस्तुत किया है जो कि मान्य न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। वादी द्वारा उपरोक्त अनरजिस्टर्ड विक्रय करार दिनांक 07.12.1984 के आधार पर वाद संविदा की विशिष्ट अनुपालना एवं स्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक के समक्ष भी प्रस्तुत कर रखा है जो कि इन्हीं पक्षकारान के मध्य इसी भूमि का वाद विचाराधीन है तथा अपंजीकृत इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत वाद मान्य न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है इसलिए वादी का वाद आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी सं0 3 ने अपने प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की है।

1. आर0आर0टी0 2012(2) पेज सं0 904
2. आर0आर0टी0 2009(1) पेज सं0 638
3. आर0आर0टी0 2014–15(स्पलीमेन्टरी) पेज सं0 664
4. आर0आर0टी0 2016(2) पेज सं0 791
5. आर0आर0टी0 2016(1) पेज सं0 205
6. ए0आई0आर0 1994 पेज सं0 853

Scanned by CamScanner

7. आर0आर0टी0 2011(2) (एस0सी0)पेज सं0 1253

वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि यह वाद राजस्व न्यायालय में दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया है प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि का कब्जा वादी को विधि सम्मत तौर पर उक्त लिखावट के अनुसार दिनांक 10.06.84 को दे दिया था जब से निरन्तर बिना रोके टोके उक्त भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा है एवं उपयोग व उपभोग तथा काश्त करता चला आ रहा है। राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के प्रावधान धारा 83(4) के अनुसार प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर सन् 1984 से काबिज नहीं है बल्कि वादी ही काबिज है दीवानी वाद पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में बहक वादी इकरारनामा विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 2 स्व0 मूलसिंह द्वारा निष्पादित किया गया था एवं वादी को विवादित भूमि पर काबिज करा दिया था। वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की है।

1. 2015 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज सं0 242
2. 2013(3) डी0एन0जे0 (राज0) पेज सं0 1219
3. 2017(1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज सं0 412
4. आर0एल0डब्लू0 1972 पेज सं0 532
5. आर0बी0जे0 2010 एच0सी0 पेज सं0 507

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया तो अप्रार्थी वादी द्वारा वाद अनरजिस्टर्ड विक्रय करार के आधार पर प्रस्तुत किया है तथा इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मान्य सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड सांभरलेक में इन्हीं पक्षकारों के मध्य वाद प्रस्तुत कर रखा है इस प्रकार विधि वर्जित होने से इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं होने से वाद खारिज योग्य है आर0आर0टी0 2009(1) पेज सं0 638 में स्पष्ट किया गया है कि अनरजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है एवं अन्य प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया इस कारण यह वाद इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 का प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रतिवादी सं0 3 का प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक
बइजलास श्री वीरेन्द्रसिंह यादव, आर0ए0एस0

मुकाम सांभर लेक

मनोहरसिंह बनाम झाब्बरसिंह वगै0

वाद बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नंबर 267/08

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री त्रिलोकचन्द्र डांगरा व हाजरी श्री नितिन कुमार सिकरवाल मिनजानिब मुददई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी सं0 3 का प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। .....

.....निज ..... मुवलिग.....

..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....

....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 09 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ओहदा

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner